न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 242/2019 दायर दिनांक–06.12.2019

नरेन्द्र कुमार उर्फ नाहर सिंह पुत्र श्री महादेव प्रसाद जाति जागिड निवासी नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादीगण

बनाम

भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रतिवादी : – राज. पेरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड द ुरूस्ती

:: निर्णय :: दिनांक – 07.01.2020

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके नवलड़ी पटवार हल्का नवलडी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 526/1.45, 565/1.11, 568/2.35 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.91 हैक्टर स्थित है, उक्त भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादी व अन्य सहखातेदारान की शामलाती हिस्से की है परन्तु सहखातेदारान व वादी के हिस्से बाबत उक्त वाद में कोई विवाद नही है ना ही सहखातेदारान का आपस में किसी अन्य तत्य बाबत विवाद है इसलिए उक्त वाद में अन्य सह खातेदारान को पक्षकारान नही बनाया गया है। उपरोक्त मद संख्या 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नाहर सिंह पुत्र श्री महादेव प्रसाद हिस्सा 1/20 दर्ज है। वादी को बचपन में नाहर सिंह के नाम बोलते थे तथा आम बोल चाल में कई बार वादी को नाहर सिंह बोल दिया जाता है इस कारण राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तरण के समय बिना रिकार्ड की जांच किये

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

वादी का नाम नाहरसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महादेव प्रसाद है। वादी के शिक्षा के रिकार्ड में भी वादी का नाम नरेन्द्र कुमार है तथा अन्य सभी दस्तावेजात् में वादी का नाम नरेन्द्र कुमार है परन्तु मात्र कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अन्य दस्तावेजात के अनुसार नही होने से वादी को अनेक परेशाानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का सही नाम नरेन्द्र कुमार है वादी को नरेन्द्र कुमार व नाहर सिह दोनों नामो से जाना जाता है। बचपन में आम बोलचाल में बोले जाने वाले नाम के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नाहर सिंह दर्ज कर दिया। नाहर सिंह पुत्र श्री महादेव प्रसाद एवं नरेन्द्र कुमार पुत्र री महादेव प्रसाद दोनो वादी के ही नाम है तथा इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम नवलडी में नही है। ग्राम नवलडी में भूमि खसरा नम्बर 526 रकबा 1.45 हैक्टर, ख0न0 565 रकबा 1.11 हैक्टर, ख0न0 568 रकबा 2.35 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.91 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में नाहर सिह पुत्र महादेव प्रसाद हिस्सा 1/20 जाति जागिड़ की जगह नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महादेव प्रसाद हिस्सा 1/20 जाति जागिड़ दर्ज किये जाने बाबत घोषणा किये जाने हेतु उक्त वाद श्रीमानजी के की यहां पेश किया गया है। उपरोक्त वाद हेतु वाद कारण वादी द्वारा अपनी कृषि भूमि का राजस्व रिकझर्ड की नकल दिनांक 2.11.2019 को प्राप्त करने पर अपना नाम गलत दर्ज होने का पता चलने के रोज न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि राजस्व ग्राम नवलडी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 526/1.45, 565/1.11, 568/2.35 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.91 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नाहर सिंह पुत्र महादेव प्रसाद हिस्सा 1/20 जाति जागिड़ सा.देह खातेदार की जगी नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महादेव प्रसाद हिस्सा 1/20 जाति जागिड़ साकिन देह खातेदार होने की घोषणा करते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावें। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादी के पक्ष में पड़ती हो तो वह भी दिलवाई जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का नाम नाहर सिंह पुत्र महादेव प्रसाद के सही नाम हेतु पूछताछ की गई। मोके पर ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि वादी का सही नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र महादेव प्रसाद जाति जागिड़ निवासी नवलडी है। वादी के दस्तावेजात आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, में भी सही नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र महादेव प्रसाद होने से राज पैरोकार ने नाम दुरूस्ती की सहमति प्रदान की गई है। साक्ष्या वादी में वादी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र महादेव प्रसाद जाति जागिड निवासी नवलडी का चीफ का शपथ पत्र पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं राज पैरोकार की सहमति के अनुसार वाद वादी स्वीकार न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम नवलडी मे स्थित खसरा नम्बर 526/1.45, 565/1.11, 568/2.35 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.91 हैक्टर में नाहर सिंह पुत्र महादेव प्रसाद जाति निवासी नवलड़ी के स्थान पर नरेन्द्र कुमार पुत्र महादेव प्रसाद जाति जागिड़ निवासी नवलडी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन वहन करेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7-1-2020

उपखण्ड अधिकारी
(मुरारीलाल शर्मा)
नवलगढ़
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला

मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं०:– 242/2019 (नरेन्द्र कुमार बनाम भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी, वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 07.01.2020 के निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम नवलडी मे स्थित खसरा नम्बर 526/1.45, 565/1.11, 568/2.35 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.91 हैक्टर में नाहर सिंह पुत्र महादेव प्रसाद जाति निवासी नवलड़ी के स्थान पर नरेन्द्र कुमार पुत्र महादेव प्रसाद जाति जागिड़ निवासी नवलडी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन वहन करेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। जिन..........–........... मुवलिग..........–........ ....बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07 माह 01 सन 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	8.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.14 13:54:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: